मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

जेट का दिवाला	3
किसानी की दिशा	4
फ़हमीदा रियाज़	5
हवाई वन स्टॉप सेंटर	6
केजरी की धमक	8

वर्ष 33 | अंक -2 | फ़रीदाबाद | 25-01 दिसम्बर 2018 | फोन : - 9999595632 | ₹2.50

नगर निगम सर्कस में 40 पार्षदों को नचा रहा है रिंग मास्टर बन कमिश्नर शाइन

फ़रीदाबाद (म.मो.) रिंग मास्ट र के कोड़े पर चालीस पार्षद नाचते भी हैं और बड़बड़ाते भी हैं कि नगर की 26 लाख जनता के प्रतिनिधियों की बेइज्जती की जा रही है। एक सरकारी नौकर द्वारा नौकरशाह उन पार्षदों की कैसे बेइज्जती क्यों न करें जिनको अपनी इज्जत करानी ही न आती हो?

वैधानिक तौर पर कोई भी नौकर शाह जनप्रतिनिधियों के ऊपर नहीं बल्कि नीचे होता है। नौकरशाह जनता का नौकर होता है लेकिन जनप्रतिनिधियों की अज्ञानता लालच एवं निजी खर्चों के चलते वह नौकर से शाह बन बैठता है। दिन प्रतिदिन देखने में आया है कि पार्षद अपनी-अपनी फाइलों को निकलवाने के लिये कमिश्नर के सामने नाक रगड़ते हैं और वह उन्हें ऐसे दुत्कार देता है जैसे कोई दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिये आये कुत्ते को दुत्कार देता है।

इतना ही नहीं अब तो इस काम के लिये भी कमिश्नर ने भाड़े पर सलाहकार के नाम से एक आदमी रख लिया है। पार्षदों का जो सदन पांच-छह महीने तक अपनी बैठक तक नहीं बुला सकता, इसके लिये भी जिन्हें कमिश्नर का मुंह ताकना पड़े, वे पार्षद होने के लायक ही नहीं हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि पार्षदगण अपनी-अपनी फाइलें उठाकर कमिश्नर के दरवाजे पर जाते ही क्यों हैं? क्यों नहीं सदन की बैठक में अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें सदन में रखकर कमिश्नर को उन्हें हल करने का आदेश देते? इसके बाद एक सप्ताह में नहीं तो एक माह बाद फिर से सदन में बुलाकर कमिश्नर से कामों के बारे में लेखा-जोखा मांगा जाये। लेकिन जो पार्षदगण छह-छह माह तक सदन की बैठक तक बुलाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे कमजोर पार्षदों की परवाह कोई कमिश्नर क्यों करे? वह क्यों न इन्हें अपने जूते की नोक पर रखे? इससे बड़ी सदन की फजीहत और क्या हो सकती है कि कमिश्नर सदन की बैठक में हाजिर होने की बजाये 15 मिनट पहले संदेश भेज दे कि वह तो बाहर गया हुआ है तथा इस पर सदन की बुलाई गई बैठक रद्द हो जाये, लानत है ऐसे सदन पर। क्यों नहीं सदन की बैठक जारी रखकर कमिश्नर के विरुद्ध सदन की अवमानना प्रस्ताव पारित किया गया?

दरअसल इसके पीछे पार्षदों की बदनीयती है। उन्हें भरोसा है कि कमिश्नर, विधायक सांसद व मंत्री की चापलूसी के बल पर वे अधिक आर्थिक लाभ व राजनीतिक रसूख कमा सकते हैं। इसी तुच्छ समझ के चलते उन्होंने अपनी वह ताकत जो जनता ने उन्हें दी है कमिश्नर व सत्ताधारी नेताओं के पास गिरवी रख छोड़ी है। जाहिर है ऐसे यानी शक्तिविहीन लोगों की परवाह कोई भी कमिश्नर क्यों करने लगा? करनी भी नहीं चाहिये।

पार्षदों ने तो आज अपनी स्थिति यह बना ली है कि अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी पसंद का मेयर, वरिष्ठ डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर तक नहीं चुन सकते क्योंकि उन्होंने अपना यह अधिकार सांसद, विधायकों व मंत्रियों की मार्फत सीएम को कौड़ियों के दाम बेच रखा है। फिर ऐसे पार्षदों की इज्जत क्यों तो मेयर करे और क्यों कमिश्नर करे?

पार्षदों की इस दुर्दशा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार उनके मतदाता भी हैं। जिस पार्षद के करोड़ों रुपए खर्च करवा कर मतदाता निगम में भेजेंगे तो वह ईमानदारी से काम कैसे कर सकता है। उसकी पहली प्राथमिकता तो सदैव अपनी खर्च की हुई रकम ब्याज सहित वसूलने की रहेगी और उसके बाद अगले चुनाव में खर्चे का प्रबंधन करना भी उसकी प्राथमिकता रहेगी ही। इन हालात में पार्षद बेचारा ठेकेदारों को लेकर कमिश्नर सहित तमाम छोटे-बड़े निगम अधिकारियों की चापलूसी नहीं करेगा तो क्या करेगा?

कुछ पार्षदों का धंधा तो अवैध कब्जों व निर्माणों को पहले तो खोजना, और फिर सौदेबाजी हो जाने पर उनकी पैरवी करना ही रहता है। यह धंधा तभी अच्छा फल फूल सकता है जब पार्षद के संबंध कमिश्नर सहित सभी भ्रष्ट अफसरों से मधुर हों। ऐसे पार्षद भला किस मुंह से कमिश्नर का मुकाबला करेंगे और क्यों कोई कमिश्नर उनको सम्मान देगा?

अमित शाह के आगे बेबस सीबीआई ने दिया अपने इतिहास का सर्वाधिक हास्यास्पद क़ानूनी तर्क

दिल्ली: सीबीआई में भ्रष्टाचार और राजनीति के बड़े खुलासों के बीच उनके इतिहास के सार्वधिक हास्यास्पद तर्क पर एक नज़र डालने से उनका भ्रष्ट आचरण और उनकी राजनीतिक उठापटक में लिप्तता को आँकने में सहूलियत होगी। यह तर्क भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के दबाव की उपज है। पहले इसकी पृष्ठभूमि।

दिसम्बर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश थे कि फ़र्ज़ी सोहराबुद्दीन एंकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज को न बदला जाय। तब जज और कोई नहीं, बाद में विवादास्पद परिस्थितियों में मृत्यु का शिकार बने जज लोया ही थे।

लेकिन शाह का जलवा ऐसा था कि जब लोया को ख़रीदा न जा सका तो उन को हटाकर एक 'अनुकूल' जज लगाया गया जिसने शाह को डिस्चार्ज कर दिया। इतने सनसनीखेज हत्या के मामले में चार्ज लगने के स्टेज पर डिस्चार्ज करना न केवल दुर्लभ है बल्कि न्यायिक अजूबा ही कहा जाएगा।

यहाँ तक कि जज ने डिस्चार्ज करते समय टिप्पणी तक कर डाली कि अमित शाह को राजनीतिक कारणों से मामले में अभियुक्त बनाया गया है। इससे जज की मंशा एकदम नंगी हो जाती है। उस स्टेज पर अभी न तो कोई गवाही हुई थी और न ही केस फ़ाइल पर ऐसे कोई सबूत थे जिनके आधार पर यह न्यायिक टिप्पणी की जा सके।

ज़ाहिर है जज तो वही कर रहा था जो उसे करना था। पर मुंबई हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी तब क्रमशः दख़ल देने से इंकार कर दिया था। तब के सीजेआई को

मोदी सरकार ने पुरस्कार स्वरूप केरल का गवर्नर बना दिया।

हाई कोर्ट और सप्रीम कोर्ट इसलिये कन्नी काट सकीं क्योंकि सीबीआई में शाह को डिस्चार्ज किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने अपील न करने के पीछे जो तर्क दिया, वही आसानी से, उनके इतिहास का सर्वाधिक हास्यास्पद क़ानूनी तर्क कहा जाएगा।

तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर अनिल सिंह ने कहा कि सीबीआई को जो कहना था वह चार्जशीट में कहा जा चुका है, लिहाज़ा अपील में नया कहने को कुछ नहीं है। ऐसे में अपील करने का क्या फ़ायदा। सोचिए, कितने भोले अन्दाज़ में न्याय की हत्या होने दी गयी! मोदी सरकार तो ख़ैर शाह की जेब में थी पर कहाँ थे हाई कोर्ट और सप्रीम कोर्ट?

अगर सीबीआई के तर्क को मान लिया जाय तो यह भी मानना होगा कि कोई जाँच एजेन्सी कभी अपील करेगी ही नहीं। बल्कि ज़्यादा संगत होगा यह कहना कि अपील की प्रक्रिया को क़ानूनी किताबों से हटा लिया जाना ही ठीक होगा। दरअसल, शायद ही किसी दुर्लभ मामले में अपील नए तथ्यों के आधार पर की जाती हो। अन्यथा, अपील का सामान्यतः आधार होता है कि निचली अदालत ने तथ्यों या सबूतों या प्रक्रिया में ग़लती की है जिसे उच्च अदालत सुधारे। उच्च अदालत तदनुसार पुनः विचार कर निर्णय करती है।

बोफ़ोर्स मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट के एक 'अनुकूल' जज ने एफआइआर ही रद्द कर दी थी जिसे सीबीआई की अपील पर बड़ी बेंच ने पुर्नस्थापित किया था। मायावती मामले में भी सीबीआई ने अपील करना तो नहीं ही छोड़ा था। बेशक राजनीतिक दबाव में उनकी पैरवी कमज़ोर रही और सत्ता राजनीति के माफिक फ़ैसला ले लिया गया। पर अमित शाह के वर्तमान मामले जैसा कुछ भी नहीं। न भूतो न भविष्यति!

साभार, विकास नारायण राय

(पेज पांच भी देखें)

झूठ बोले कव्वा काटे काले कव्वे से डरियो
960 करोड़ की कौशल यूनिवर्सिटी, 36 करोड़ का अस्पताल तथा आधुनिक स्कूल की आधारशिला रखी

फ़रीदाबाद (म.मो.) झूठ पर झूठ बोलने वाले भाजपाई जुमलेबाजों को कव्वा तो बेचारा क्या काटेगा परन्तु जागरूक जनता तो जरूर काटेगी। कहावत है कि आटे में नमक तो चल जाता है पर आटे की जगह नमक नहीं चल सकता। यानी 10 बातें सच बोली जायें तो एक आध झूठ तो उसमें खप सकता परन्तु 10 की 10 झूठ नहीं खप सकती।

दुधोला गांव में कौशल यूनिवर्सिटी बनाने का जुमला मुख्यमंत्री खट्टर ने करीब साढे तीन वर्ष पूर्व एनआईटी के एनएच-3 की एक जनसभा में छोड़ा था। उस क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा द्वारा बुलाई गयी उसी जनसभा में खट्टर ने बड़खल झील को लबालब भरने सहित वायदों की झड़ी लगा दी थी। ज्यों-ज्यों चुनाव सिर पर आते जा रहे है त्यों-त्यों इन जुमलेबाज़ों को अपने फ़ेंके हुये जुमले याद कराये जा रहे हैं। जनता को अगले 5 साल तक बेवकूफ़ बनाने के लिये 19 नवम्बर को उक्त कौशल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी। इसका पहला चरण 2 साल यानी 2020 में पूरा होगा। इन जुमलेबाज़ों के दो साल कितने लम्बे होते हैं इसका अंदाज़ा मंझावली गांव के निकट यमुना नदी पर 15 अगस्त 2014 में रखी गयी आधारशिला से लगाया जा सकता है। सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि वह पुल भी दो साल में बन कर चालू होना था।

यूनिवर्सिटी शब्द अपने आप में बड़ा सुंदर एवं लुभावना है और जब इसके साथ कौशल शब्द भी जुड़ जाय तो फ़िर क्या कहने। दावा किया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में छात्रों को ऐसा हुनरमंद बनाया जायेगा कि उन्हें रोजगार तलाशने में दिक्कत न हो। इतना ही नहीं जनता को और अधिक लुभाने के लिये कहा जा रहा है कि इसमें पढने वाले छात्रों को दस हज़ार मासिक बतौर छात्रवृत्ति भी दी जायेगी। यानी झूठ बोलने की कोई सीमा रखी ही नहीं गयी। इसके पीछे मंशा केवल आगामी चुनाव में फ़िर से सत्ता हथियाने की है।

राज्य में जो मौजूदा यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, इन्जीनीयरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज और आईटीआई चल रही हैं, उनकी क्या दशा है? कहीं भी न तो पर्याप्त स्टाफ़ है और न ही आवश्यक उपकरण व साजो-सामान उपलब्ध है। किसी भी सरकारी संस्थान को चलाने के लिये खट्टर सरकार के पास बजट नहीं है। रोहतक की मेडिकल युनिवर्सिटी बिना स्टाफ़ भर्ती किये और बेजा जुर्मानों के सहारे चलाने वाली सरकार एक नहीं

शेष पेज दो पर